

1305

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गाढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -

कपासन जिला - चितौड़गाढ

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 16.25

दायर दिनांक 9/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खाना	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	हस्ता हस्ता	2225	महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है। वर्तमान प्रविष्टी शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.आधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम कपासन प.ह. कपासन खातासं. 2225 में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दखाना किये जाने का आदेश दिया जाता है।
	हस्ताक्षर प्रिस्तावर हस्ताक्षर प्रिस्तावर	हस्ताक्षर प्रिस्तावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

पटवार मण्डल कपासन
पटवार मण्डल कपासन जिला चितौड़गाढ

1. पटवारी पटवार मण्डल कपासन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदखाना करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गाढ

तहसीलदार कपासन

तहसील कपासन जिला-चितौड़गाढ